

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / १३० / 2022

दिनांक : 11.03.2022

श्री बलवंत सिंह भारी (RJ0468), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ (चूरु) को दिनांक 16.02.2022 से 22.02.2022 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री भारी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ (चूरु) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/11/2005/2054

दिनांक : 11.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 1438 दिनांक 25.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री बलवंत सिंह भारी (RJ0468), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ (चूरु)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ (चूरु)।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु।

सहायक रजिस्ट्रार